न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 104/2006/223 आर टी ए

1. कुरड़ाराम पुत्र ईशर जाति नायक निवासी टिडियासर तहसील नोहर।

––अपीलांट

बनाम

1. सरबती बेवा राजकरण जाति चमार निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
2. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार नोहर तहसील नोहर।

––असल रेस्पोडेंट

3. गणपत पुत्र ईशर जाति नायक निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
4. रामू पुत्र ईशर जाति नायक निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
5. चेतराम पुत्र ईशर जाति नायक निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
6. सुगनी पुत्री ईशर जाति नायक निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
7. मीरां पुत्री ईशर जाति नायक निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
8. सिंगारी पुत्री ईशर जाति नायक निवासी टिडियासर तहसील नोहर।

–––रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.11.02 न्यायालय उपखण्डाधिकारी नोहर
प्र0सं0 183/84 अनवानी कुरड़ाराम बनाम सरबती आदि

उपस्थित :–
श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिनांकः–08.06.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए प्रस्तुत किया गया। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुए अपीलांट/वादी का वादपत्र खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध दस्तवेजी एवं मौखिक साक्ष्य के विपरीत पारित किया गया है जो अपास्त योग्य है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी सबूत के बतौर असल नोटिस धारा 91 ईएक्सपी. 1, सन् 1988 ईएक्सपी. 2 मिलान क्षेत्रफल, ईएक्सपी. 3 नकल जमाबंदी सम्वत 2011 ता 14 ईएक्सपी. 5 नकल जमाबंदी सम्वत 2043 खाता सं. 21 व खाता सं. 2, नकल आदेश दिनांक 29.12.88 ईएक्सपी.6 नोटिस 80 सीपीसी ईएक्सपी. 7

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

रसीदे पोस्ट ऑफिस ईएक्सपी. 8 नकल जमाबंदी सम्वत 2043 ईएक्सपी. 9 ता 10 व मौखिक साक्ष्य मे कुरडाराम प्रतिवादी सं. 1 हनुमान, प्रतिवादी सं. 2 के ब्यान करवाये गये। प्रतिवादी ने कोई साक्ष्य पेश नही किया जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजात से यह साबित था कि खसरा नं. 58 की 58 बीघा भूमि ईशरराम के कब्जा काश्त की थी जिसे ईशरराम सम्वत 2010 से अपने जीवन पर्यन्त काश्त करते रहे और 2012 मे भी आरटीए सन् 1955 के प्रवर्तन के वक्त भी उक्त भूमि के वास्तविक काबिज काश्तकार थे तथा वे कानूनन उक्त भूमि के खातेदार हो गये थे तथा उक्त भूमि हाल नये खसरा नं. 67 की 58 बीघा मे परिवर्तित हो चुकी है। खसरा नं. 67 की शेष भूमि 36.18 बीघा यद्यपि कागजात माल मे गलत तरीके से चारागाह दर्ज कर दी है फिर भी वादी एवं उसके भाई उक्त भूमि को काश्त करते रहे है तथा उनके खिलाफ तावान कायम होता रहा जो नोटिस धारा 91 एलआर एक्ट से स्पष्ट है। दिनांक 29.12.88 को राजस्व अभियान मे वरवक्त अभियान प्रतिवादी सं. 2 से उक्त भूमि मे से 21 बीघा को गोचर से आराजीराज मे दुरूस्त करवा 10 बीघा भूमि प्रतिवादिया सं. 8 को एवं 11 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 1 को आवंटित कर दी जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से भलीभांति साबित था कि रेस्पो0 सं. 1 को किया गया आवंटन आदेश वादी पर बेसर है। उक्त आवंटन को निरस्त करवाने का वादी अधिकारी है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान कभी नही रहा क्योंकि प्रकरण मे समस्त कार्यवाही अपीलांट की ओर से नियुक्त अभिभाषक द्वारा की जा रही थी तथा अभिभाषक के कहे अनुसार आवश्यकता होने पर सूचित कर दिया जावेगा। अपीलांट को रेस्पो0 सं. 1 ने दिनांक 30.05.2006 को कब्जे से बेदखल होने की धमकी दी तक अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान हुआ। ज्ञान होने के उपरांत अपील ज्ञान से अन्दर मियाद पेश की गई। अतः अपील प्रस्तुति मे हुई को कन्डोन किया जाकर अपील ज्ञान से अन्दर मियाद मानी जावें। अतः अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट का तर्क है कि ''खसरा नं. 58 की 58 बीघा भूमि ईशरराम के कब्जा काश्त की थी जिसे ईशरराम सम्वत 2010 से अपने जीवन पर्यन्त काश्त करते रहे और 2012 मे भी आरटीए सन् 1955 के प्रवर्तन के वक्त भी उक्त भूमि के वास्तविक काबिज काश्तकार थे तथा वे कानूनन उक्त भूमि के खातेदार हो गये थे तथा उक्त भूमि हाल नये खसरा नं. 67 की 58 बीघा मे परिवर्तित हो चुकी है। खसरा नं. 67 की शेष भूमि 36.18 बीघा यद्यपि कागजात माल मे गलत तरीके से चारागाह दर्ज कर दी है फिर भी वादी एवं उसके भाई उक्त भूमि को काश्त करते रहे है तथा उनके खिलाफ तावान कायम होता रहा जो नोटिस धारा 91 एलआर एक्ट से स्पष्ट है। दिनांक 29.12.88 को राजस्व अभियान मे वरवक्त अभियान प्रतिवादी सं. 2 से उक्त भूमि मे से 21 बीघा को गोचर से आराजीराज मे दुरूस्त करवा 10 बीघा भूमि प्रतिवादिया सं. 8 को एवं 11 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 1 को आवंटित कर दी जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से भलीभांति साबित था कि रेस्पो0 सं. 1 को किया गया आवंटन आदेश वादी पर बेसर है।''

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय मे उल्लेखित किया गया है कि ''सम्वत 2011 से 2014 मे रकबा आराजीराज मकबूजा राज बजड़ होना साबित करता है। प्रदर्श 9 से खसरा नं. 67 मिन की 21 बीघा 2 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं. 3 ता 5 व वादी, चावली बेवा ईशर के नाम अन्य खसरा नं. 142, 166 कुल 75 बीघा खातेदारी दर्ज है। प्रदर्श 10 से खसरा नं. 67 की 36 बीघा 18 बिस्वा चारागाह भूमि दर्ज कागजात है। प्रदर्श 6 आवंटन

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

आदेश दिनांक 29.12.88 से खसरा नं. 67 की 10 बीघा सिनगारी व 11 बीघा सरबती के नाम होना प्रमाणित है। इसके अलावा वादी ने कोई दस्तावेज पेश नही किया है। आवंटन आदेश 29.12.88 आवंटन कमेटी की राय से हुआ है। वादी जरिये उक्त वाद किसी भी प्रकार से निरस्त करवाने का अधिकारी नही है, वादी को आपत्ति थी तो आवंटन की अपील कर चाराजोई करनी चाहिए थी। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी से खसरा नं. 67 की 15 बीघा 18 बिस्वा भूमि गोचर भूमि होना स्पष्ट साबित है परन्तु वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे वादग्रस्त भूमि वादी की साबित हो। इस प्रकार वादी अपने वाद को साबित नही किया है। अतः वाद वादी साबित नही होने से खारिज किया जाता है।'' इस प्रकार अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के संबंध मे हुये आवंटन को गलत बताते हुए वादग्रस्त भूमि की घोषणा का अनुतोष चाहा गया जबकि वादग्रस्त भूमि आराजीराज दर्ज होने के कारण आवंटन आदेश दिनांक 29.12.88 के जरिये आवंटित की गई है। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई है बल्कि आवंटन को गलत दर्शाते हुए घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है जो विधिपूर्ण नही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मे हस्तक्षेप करने पर्याप्त आधार नही होने के कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

7. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.11.2002 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए उल्लेखित किया है कि '' सम्वत 2011 से 2014 मे रकबा आराजीराज मकबूजा राज बजड़ होना साबित करता है। प्रदर्श 9 से खसरा नं. 67 मिन की 21 बीघा 2 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं. 3 ता 5 व वादी, चावली बेवा ईशर के नाम अन्य खसरा नं. 142, 166 कुल 75 बीघा खातेदारी दर्ज है। प्रदर्श 10 से खसरा नं. 67 की 36 बीघा 18 बिस्वा चारागाह भूमि दर्ज कागजात है। प्रदर्श 6 आवंटन आदेश दिनांक 29.12.88 से खसरा नं. 67 की 10 बीघा सिनगारी व 11 बीघा सरबती के नाम होना प्रमाणित है। इसके अलावा वादी ने कोई दस्तावेज पेश नही किया है। इसलिये तनकी सं. 1 का निर्णय वादी के खिलाफ किया जाता है। आवंटन आदेश 29.12.88 आवंटन कमेटी की राय से हुआ है। वादी जरिये उक्त वाद वादग्रस्त भूमि जो अपीलांट के पिता व रेस्पो0 सं. 1 के ससुर काशीराम के नाम दर्ज थी। जिसमे काशीराम की मृत्यु के बाद उसके समस्त वारिसान यानि तीन पुत्र एवं दो पुत्री व पत्नि का हक हिस्सा निहित था। परन्तु स्व. काशीराम की मृत्यु के बाद अपीलांटस ने वादग्रस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली जिसके विरूद्ध रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अपने पति की मृत्यु के बाद अपने पति के हक व हिस्सा की आराजी के संबंध मे घोषणा व खाता तकसीम का दावा प्रस्तुत किया गया। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर काशीराम के नाम की भूमि मे उसके समस्त वारिसान के नाम बहिस्सा बराबर की घोषणा करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। जबकि अपीलांट का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि मे रेस्पो0 सं. 1 के पति भीमसिंह ने अपने हक हिस्सा का त्याग कीमतन अपीलांट के पक्ष मे कर दिया था तथा वादग्रस्त भूमि के संबंध मे पारिवारिक बंटवारा हो गया। पारिवारिक बंटवारा के आधार पर अपीलांट को वादग्रस्त भूमि प्राप्त हुई है। जिसमे रेस्पो0 सं. 1 का व भीमसिंह का कोई हक व हिस्सा नही है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध मे हुये पारिवारिक बंटवारा बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया तथा ना ही स्व0 भीमसिंह द्वारा अपने हक व हिस्सा के त्याग किये जाने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति मे

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील मे वर्णित तथ्य सिद्ध नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मे बिना किसी औचित्य एवं त्रुटि के हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

2. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.09.2007 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official